

04/04/18

पत्रावली पेशा वकील प्राथी 340/ मूल वाड
वकील वाडी द्वारा Not-press करे से
खारीज हो चुका है। अतः आकेस में आगे की
कार्यवाही का कोई अर्थ नहीं रहता है।
अतः आकेस इती स्तर पर खारीज किया जाता
है। पत्रावली फलत मुकाम एकेस दाखिल पत्र
है।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन